न्यायालय सहायक कलक्टर उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः— श्री सुरेश कुमार हरसोलिया (आर.ए.एस)
प्रार्थना पत्र कमांकः— 15/2022

नवलसिंह पुत्र चरनसिंह जाति जाट निवासी नगला तेहरिया तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।

.....प्रार्थी

बनाम

1. विजय सिंह पुत्र चरनसिंह
2. मायादेवी बेबा रणवीर
3. भोजराज
4. नरायनसिंह पुत्रान रणवीर
5. लाखन
6. यादराम पुत्रान चरनसिंह
7. थ्वरमा
8. शीलवती उर्फ शीला
9. इंद्रा
10. संतोष
11. कल्पना पुत्रियान चरनसिंह
12. सफेदी बेबा चरनसिंह
13. खूबी पुत्र भगवत
14. दयाचंद पुत्र भगवत
15. जयपाल
16. विजयपाल पुत्रान ननुआ
17. सोहनलाल
18. बदनसिंह पुत्रान शंकरिया
19. रामकटोरी बेवा श्रीराम
20. रामदेवी पत्नि भंवरसिंह
21. सत्यपालसिंह
22. सत्येन्द्र कुमार पुत्रान भंबरसिंह
23. जगनसिंह पुत्र रामदयाल
24. गंभीरसिंह
25. दिनेश पुत्रान मानसिंह
26. मदनलाल
27. कमलसिंह पुत्रान हरीसिंह

सहायक कलक्टर
उच्चैन (भरतपुर)

28. शीला पत्नि विजयसिंह

समस्त जातियान जाट निवासीयान नगला तेहरियां तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए

उपस्थिति

1. श्री जयप्रकाश शर्मा एडवोकेट प्रार्थी
2. श्री गोरधन धनकर एडवोकेट अप्रार्थी संख्या 1,28।
3. श्री धर्मेन्द्र चौधरी एडवोकेट अप्रार्थी संख्या 5,6,12।

निर्णय दिनांकः—22.01.2026

प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत पेश कर निवेदन किया है प्रार्थी के पिता चरणसिंह पुत्र भगवत की छोडी हुई आराजी बाके ग्राम नगला तेहरियां माफी व तेरहिया खालसा पटवार हल्का पना तहसील उच्चैन में आराजी खसरा नम्बर 194/0.09, 195/0.16, 243/0.04, 244/0.19, 252/0.01, 253/0.17, 307/0.13, 308/0.05, 311/0.05, 312/0.14, 320/0.16, 321/0.15, 333/0.24, 334/0.14, 335/0.13, 439/0.11है0 कुल किता 16 रकवा 1.96है0 में से 1/6 हिस्सा आराजी खसरा नम्बर 115/0.02, 408/0.10है0 कुल किता 2 रकवा 0.12है0 से 1/12 हिस्सा आराजी खसरा नम्बर 440/0.23है0 से 1/6 हिस्सा खसरा नम्बर 178/0.08, 179/0.09, 254/0.18, 272/0.12, 310/0.07, 404/0.15, 407/0.04है0 से 1/3 हिस्सा आराजी खसरा नम्बर 17/0.26है0 से 1/3 हिस्सा आराजी खसरा नम्बर 49/0.15, 50/0.10, 51/0.24है0 कुल किता 3 रकवा 0.49है0 से 1/6 हिस्सा आराजी खसरा नम्बर 86/0.10है0 से 1/6 हिस्सा आराजी खसरा नम्बर 446/0.24, 458/0.29है0 कुल किता 2 रकवा 0.53है0 से 1/6 हिस्सा आराजी खसरा नम्बर 205/0.05, 206/0.06है0 से 1/35 हिस्सा आराजी खसरा नम्बर 197/0.13, 198/0.14, 233/0.06 कुल किता 3 रकवा 0.33है0 में से 1/3 हिस्सा आराजी खसरा नम्बर 391/0.36, 392/0.01, 393/0.33, 397/0.17, 398/0.18 कुल किता 5 रकवा 1.05है0 में से 32/195 हिस्सा आराजी खसरा नम्बर 23/0.44, 30/0.21, 31/0.21, 32/0.44 कुल किता 4 रकवा 1.30है0 में से 1/6 हिस्सा आराजी खसरा नम्बर 237/0.01, 238/0.33, 385/0.23, 386/0.26 कुल किता 4 रकवा 0.83है0 में से 1/6 हिस्सा स्थित है। उक्त विवादित जायदाद प्रार्थी को अपने पिता चरनसिंह से विरासतन प्राप्त हुई है उक्त जायदाद में प्रार्थी अपने पिता चरनसिंह के 1/11 हिस्से का खातेदार काश्तकार एवं काबिज आराजी है चरनसिंह की विरासत का नामांतकरण अभी राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं हो पाया है किन्तु प्रार्थी उक्त आराजी में संयुक्त रूप से अपने हिस्से के मुताबिक काश्त करता चला आ रहा है और अपने हिस्से की फसल लेता चला आ रहा है किन्तु अब समस्त अप्रार्थी असल की नीयत में बध्यान्ति आ गई है और वे उक्त आराजी में से प्रार्थी को उसका हिस्सा नहीं देना चाहते है। समस्त अप्रार्थीगण ने एक गिरोह

सहायक कलक्टर
उच्चैन (भरतपुर)

बना लिया है और दिनांक 11/10/2021 को प्रार्थी को ऐलानिया धमकी दी है कि अब तुम्हारा इन आराजीयों में कोई हिस्सा नहीं है अब हम तुम्हें तुम्हारे हिस्से की फसल को काटने नहीं देंगे और पूरी जायदाद पर अपना कब्जा कर दीगर लोगों को रहन वय मुन्तकिल कर देंगे और तुम्हें तुम्हारी पैतृक जायदाद से बंचित कर देंगे। दिनांक 11/10/2021 को दी गई धमकी के कारण प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में पेश किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 24.06.2024 को अप्रार्थीगण संख्या 7 लगा0 11 एवं 13 लगा0 27 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। दिनांक 23.12.2025 को अप्रार्थी संख्या 3 का जबाव बंद किया गया। दिनांक 8.3.2022 को अप्रार्थी संख्या 1 व 28 ने जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि उक्त विवादित आराजी का प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य काफी समय पूर्व ही मनवट के आधार पर बंटबारा हो गया था तभी से सभी अपने अपने हिस्से की आराजी पर काश्त करते चले आ रहे है लेकिन प्रार्थी ने अपने हिस्से की आराजी को दिनांक 27.06.2006 को जमीन के एवज में कीमत अंकन एक लाख पैंतीस हजार रूपये में प्रतिवादी संख्या 5 व 6 को विक्रय कर दिया एवं कब्जा प्रतिवादी संख्या 5 व 6 को दे दिया तो वादी का उक्त विवादित आराजी में हिस्से की बात कहना व आराजी पर काश्त करना अपने वाद पत्र में गलत अंकित कराया है। प्रार्थी ने अपने हिस्से की आराजी के साथ साथ ही अपने रिहायशी मकान को भी पैंचालीस हजार रूपये में विक्रय कर दिया था एवं अप्रार्थी संख्या 5 व 6 को कब्जा दे दिया था। प्रार्थी द्वारा अपने हिस्से की सम्पूर्ण आराजी का बेचान अप्रार्थी संख्या 5 व 6 को कर दिया है ऐसी स्थिति में प्रार्थी का उक्त विवादित आराजी में कोई भी अधिकार शेष नहीं बचते है। प्रार्थी ने झूठे तथ्यों के आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है जो कि काबिल खारिजी है।

दिनांक 27.12.2024 को अप्रार्थी संख्या 5,6,12 ने जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में सारे तथ्य झूठे दर्ज कराये है जबकि प्रार्थी ने अपने पिता के जीवनकाल में जब उक्त आराजी का इन्द्राज प्रार्थी के पिता चरनसिंह के नाम था अपनी मां एवं पिता की सहमति से अपनी पत्नि एवं बच्चों की सहमति से प्रार्थी के पिता की समस्त कृषि भूमि में बनने बाले अपने हिस्से को एवं आवासीय भूमि में बनने बाले समस्त हिस्से को अप्रार्थी संख्या 5 व 6 को बेचान कर दिया था तथा सम्पूर्ण प्रतिफल प्राप्त कर गांव छोडकर चला गया था एवं बयाना में निवास करता था लेकिन अब उक्त विक्रय से प्राप्त राशी जब समाप्त हो गई तो प्रतिवादी अप्रार्थी संख्या 5 व 6 को बेची हुई आराजी में अपना हक जमाने की नियत से उक्त आराजी पर जबरन कब्जा करना चाहता है तथा अपने इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु उक्त दावा झूठे तथ्यों के आधार पर पेश कर स्थगन प्राप्त करना चाहता है जो कि काबिल खारिजी है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि उक्त विवादित आराजी प्रार्थी के पिता चरनसिंह को छोडी हुई आराजी है जिसमें प्रार्थी को जन्म लेते ही अधिकार प्राप्त हो जाते है। उक्त जायदाद में प्रार्थी अपने पिता चरनसिंह के 1/11 हिस्से का खातेदार काश्तकार एवं काविज आराजी है चरनसिंह की विरासत का नामांतकरण अभी राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं हो

सहायक कलक्टर
उच्चैन (भरतपुर)

पाया है किन्तु प्रार्थी उक्त आराजी में संयुक्त रूप से अपने हिस्से के मुताबिक काश्त करता चला आ रहा है और अपने हिस्से की फसल लेता चला आ रहा है किन्तु अब समस्त अप्रार्थी असल की नीयत में बध्यान्ति आ गई है और वे उक्त आराजी में से प्रार्थी को उसका हिस्सा नहीं देना चाहते है जिसके कारण अप्रार्थीगण असल को ताफैसला बाद जरिये अस्थाई निषेधज्ञा से पाबंद फरमाये जाने का निवेदन किया है।

अभिभाषक अप्रार्थीगण के द्वारा दौराने बहस जबाव प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र झूठे तथ्यों के आधार पर पेश किया है प्रार्थी के द्वारा अपने सम्पूर्ण हिस्से की आराजी का बेचान जरिये इकरारनामा दिनांक 27.06.2006 को अप्रार्थी संख्या 5 व 6 के हक में संम्पादित करा दिया था एवं उसी समय से अपने उक्त हिस्से का कब्जा अप्रार्थी संख्या 5 व 6 को सुपुर्द कर दिया था। इस समय उक्त विवादित आराजी पर प्रार्थी का ना तो कोई हिस्सा शेष है और ना ही किसी हिस्से पर कोई कब्जा काश्त है। प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पर सच्चाई को छिपाते हुये झूठे तथ्यों के आधार पर पेश किया है जो कि काबिल खारिजी है।

मेरे द्वारा उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र जबाव प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थना पत्र एवं जबाव प्रार्थना पत्र के साथ पेश राजस्व रिकार्ड आदि का अवलोकन किया गया। इकरारनामा दिनांक 27.06.20006 को अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा अपने हिस्से की भूमी का बेचान अप्रार्थी संख्या 5 व 6 के हक में निस्पादित किया है। साथ ही सभी अप्रार्थीगण उक्त विवादित आराजी में सहखातेदार काश्तकार है। प्रार्थी द्वारा कब्जे काश्त के सम्बन्ध में कोई भी साक्ष्य पेश नहीं किया है जिससे की स्पष्ट हो सके की प्रार्थी का उक्त विवादित आराजी पर कब्जा काश्त है कि अथवा नहीं है। प्राईमाफेसी केस, सुबिधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिंदू प्रार्थी के हक में साबित नहीं होते है।

अतः आदेश है:—

प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 22.01.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सुरेश कुमार हरसौलिया (आर0ए0एस0)
सहायक कलक्टर
उच्चैन भरतपुर